न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

कैम्प करेड़ा

पीठासीन अधिकारीः–रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 10/2017 प्रार्थना पत्र

1. श्री शंकर पिता डालु कुम्हार निवासी करेड़ा तह. करेड़ा
2. श्री मिठू पिता डालु कुम्हार निवासी करेड़ा तह. करेड़ा
3. श्री बालु पिता डालु कुम्हार निवासी करेड़ा तह. करेड़ा
4. लादी पिता डालु कुम्हार निवासी करेड़ा तह. करेड़ा
5. शानु पिता डालु कुम्हार निवासी करेड़ा तह. करेड़ा
6. सायरी पिता डालु कुम्हार निवासी करेड़ा तह. करेड़ा तह. करेड़ा

---प्रार्थीगण

बनाम

1. गीता देवी पत्नी रामेश्वरलाल शर्मा निवासी डेलारा तह. करेड़ा
2. रामेश्वर ग्रेनाईट करेड़ा जरिये पार्टनर श्री गोपाल लाल पिता भॅवरलाल तिवाडी
3. रामेश्वर ग्रेनाईट करेड़ा जरिये पार्टनर श्री सुरेश पिता घनश्याम तिवाडी
4. रामेश्वर ग्रेनाईट करेड़ा जरिये पार्टनर श्री रामचन्द्र पिता गंगाराम शर्मा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा
6. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र भीलवाड़ा

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अंतर्गत धारा 251–ए राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थितः–

1– श्री टीसी जैन – अधिवक्ता–प्रार्थीगण
2– – अधिवक्ता–विपक्षी

:: निर्णय :: दिनांकः– 21.05.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा0का0अधिनियम विरूद्ध विपक्षी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को उजरदारी पेश करने हेतु न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किया गया। सम्मन बाद तामील शामिल मिसल है।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर करेड़ा पर पेश हुई। वकील वादी व वादी शंकर, मिठू, बाली उपस्थित हुये प्रकरण में आज ही निर्णय की प्रार्थना की। तहसीलदार करेड़ा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगणों को अपनी आराजी संख्या 2192, 2198, 2199 व 2200 में आने–जाने हेतु कोई रास्ता दर्ज रेकार्ड नहीं होने है तथा प्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थनापत्र में अंकित / चाहे रास्ते के अतिरिक्त मौके अनुसार कोई विकल्प नही है। प्रार्थीगणों द्वारा चाहे रास्ते में आराजी संख्या 2205 औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित होने से महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र भीलवाड़ा ने पत्र कमांक 5157 दिनांक 01.12.2017 अनुसार आराजी संख्या 2205 औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित में कोई रास्ता नही दर्शाया है। पत्रावली के अवलोकन तथा तहसीलदार करेड़ा के मौका रिपोर्ट व महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र भीलवाड़ा के प्रत्युत्तर पर चिंतन एवं मनन किया आराजी संख्या 2205 औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित होने से तथा कोई रास्ता नहीं दर्शाने से प्रार्थीगणों को वांछित रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अतएव

आदेश

प्रार्थीगणों द्वारा चाहे रास्ते में आराजी संख्या 2205 औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित में कोई रास्ता नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को विवृत कैम्प स्थल पर सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner